


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज

नम
अहका
तारि

12-4-22

वादी मय वकील अनुपास्थित। प्रतिवादी-
गण अनुपास्थित। वादी एवं वकील वादी
को बार-बार आवाज दी गई, बावजूद
इसके वादी मय ^{वकील} अनुपास्थित अतः वाद
वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा
53, 92A, 188 RTA अदम हाजरी, अदम
पैशवी में खारीज किया जाता है, फासी
फैसल शूमार बीकर नम्बर से कम हो,
बाद तकमील जाहता दाखिल दफ्त  है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) राणा